भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED

INDIA N... AL

31 JUL 2017

NOTARIAL NOTARIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DP 584615

शपथ पत्र

सेवा में,

उपाध्यक्ष हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण, हापुड़।

शपथ पत्र ओर से अश्वनी कुमार अग्रवाल पुत्र श्रीकिशन अग्रवाल निवासी सी–43, सर्वोदयनगर, विजयनगर गाजियाबाद जिला गाजियाबाद (उ0प्र0) का हूं।

1–यह कि मेरा नाम व पता सही है।

2–यह कि मैं शपथपूर्वक कहता/कहती हूं कि मैं भविष्य मे हापुड–पिलखुवा विकास प्राधिकरण हापुड के विरूद्व किसी भी माननीय न्यायालय/फोरम इत्यादि में किसी भी प्रकार का वाद दायर नही करूंगा/करूंगी।

3–यह कि मैं विकास/निर्माण कार्यो सम्बन्धी समस्त मामलों मे भी किसी भी प्रकार का वाद हापुड पिलखुवा विकास प्राधिकरण के विरूद्व किसी भी न्यायालय/फोरम इत्यादि में दायर नही करूंगा/करूंगी।

4–यह कि मैं माननीय न्यायालय/फोरम इत्यादि के आदेशों का अनुपालन सदैव करता/करती रहूंगा/रहूंगी साथ ही उपाध्यक्ष, हापुड–पिलखुवा विकास प्राधिकरण के निर्णयों का भी पालन करता रहूंगा/करती रहूंगी।

5–यह कि **आनन्द विहार** आवासीय **योजना, हापुड़** में स्थित आवासीय भूखण्ड संख्या L-196 (कुल क्षेत्रफल **32 वर्गमीटर**) के विरूद्व यदि भविष्य मे कोई भी देनदारी हापुड–पिलखुवा विकास प्राधिकरण, हापुड द्वारा एवं माननीय न्यायालय/फोरम इत्यादि द्वारा मुझ पर देय होती है, तो उसे बिना किसी प्रतिबन्ध के जमा करने को तैयार हूं। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।

6–यह कि उक्त भूखण्ड/भवन के विरूद्ध हापुड–पिलखुवा विकास प्राधिकरण हापुड अथवा किसी भी माननीय न्यायालय/फोरम इत्यादि द्वारा कीमत मे वृद्वि की जाती है तो मैं उस वृद्वि को प्राधिकरण कोष मे जमा करने को तैयार हूं जिसमे मुझे कोई भी आपत्ति नही होगी। साथ ही उक्त के विरूद्व मैं किसी भी माननीय न्यायालय/फोरम इत्यादि में कोई भी किसी भी तरह का वाद दायर नही करूंगा/करूंगी। यदि त्रुटिवश रजिस्ट्री के बाद भी कोई धनराशि देय शेष रह जाती है तो मैं उसे सहर्ष ब्याज सहित जमा करने को तैयार हूं।

7–यह कि हापुड–पिलखुवा विकास प्राधिकरण की किसी भी आवासीय योजना मे मेरे, मेरी पत्नी/मेरे पति एवं अवयस्क बच्चों के नाम एक से अतिरिक्त कोई भी भूखण्ड/भवन आवंटित नहीं है यदि एक से अतिरिक्त कोई अन्य भूखण्ड/भवन मेरे, मेरी पत्नी/मेरे पति अथवा अवयस्क बच्चो के नाम आवंटित पाये जाते है तो उनका आवंटन निरस्त किये जाने मे मुझे कोई भी आपत्ति नही होगी और न ही मैं उक्त के परिपेक्षय में किसी भी न्यायालय/फोरम इत्यादि मे प्राधिकरण के विरूद्व वाद दायर करूंगा/करूंगी।

8–यह कि यदि त्रुटिवश मेरे, मेरी पत्नी/मेरे पति एवं अवयस्क बच्चों के नाम एक से अधिक भूखण्डों/भवनों की रजिस्ट्री हो जाती है तो उसे निरस्त करने में भी मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी और न ही मैं उक्त के परिपेक्ष्य में किसी भी न्यायालय/फोरम इत्यादि में प्राधिकरण के विरूद्व कोई वाद दायर करूंगा/करूंगी और मेरे द्वारा आवंटित भूखण्ड का समर्पण स्वेच्छा से बिना किसी शर्त के कर दिया जायेगा। साथ ही प्राधिकरण द्वारा जमा की गई धनराशि में नियमानुसार जो भी कटौती होगी, वह मुझे सहर्ष स्वीकार होगी।

9–यह कि आवंटित भूखण्ड/भवन का उपयोग मात्र आवासीय प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा।

10–यह कि मेरे, मेरी पत्नी/मेरे पति एवं अवयस्क बच्चों के नाम प्रश्नगत अभिकरण के विकास क्षेत्र में विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद, किसी भी स्थानीय निकाय, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कालौनियों के अन्तर्गत कोई भी अपना भूखण्ड/भवन नहीं है तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी भी नगर अथवा किसी भी शहरी क्षेत्र में उपरोक्त अभिकरणों द्वारा विकसित कालौनियों में एक से अधिक भूखण्ड/भवन नहीं है।

क्रमांक 1 से 10 तक समस्त जानकारी सत्य है। ईश्वर मेरी सहायता करे।

NOTARY
Sandeep Kr. Mittal
ADVOCATE
Distt. ...
Reg. No. ...
GOVT. OF INDIA

दिनांक : 04–08–2017

शपथकर्ता के हस्तांक्षर

ATTESTED
04/8/17
SANDEEP KUMAR MITTAL
NOTARY
ADVOCATE HAPUR (U.P.)